निरीक्षण आख्या, **परियोजना अधिकारी निर्माण खण्ड उत्तराखण्ड पेयजल निगम चकराता (विकास नगर देहरादून)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **परियोजना अधिकारी निर्माण खण्ड उत्तराखण्ड पेयजल निगम चकराता** के माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री बी.डी. सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 22.09.2016 से 30.09.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 23.06.2014 से 03.07.2014 तक श्री महेन्द्र तिवारी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गई थी। जिसमें माह 04/2011 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

इस अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा-

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	ओ.पी. सिंह	23.06.2014 से 30.09.2014
2.	श्री के.के. तनेजा	01.10.2014 से वर्तमान तक

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

लेखापरीक्षा प्रति/वर्ष	भाग-दो(अ)	भाग-दो(ब)	STAN
AIR 69/2010-11	01	01	-
AIR 52/2011-12	-	06	01
AIR 43/2014-15	-	06	01

(ब) सतत् अनियमिततायेः- शून्य

(स) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित)- ठेकेदार को दिये गये अग्रिम की पंजिका, टी.आई. पंजिका एवं बैंक समाधान विवरण प्रपत्र (न बनाया जाना)

(द) बजटः-

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	**मद विवरण**	**वित्तीय वर्ष**		
		2013-14	**2014-15**	**2015-16**
1	प्रारम्भिक अवशेष	585.20	724.03	613.14
2	वर्ष में प्राप्तियाँ	786.71	671.45	1120.34
3	(अ) केन्द्र	----	----	----
4	(ब) राज्य	----	----	----
5	(स) अन्य स्रोतों से	----	----	----
6	कुल योग	1371.91	1395.48	1733.48
7	कुल व्यय	647.88	782.34	703.73
8	अन्तिम अवशेष	724.03	613.14	1029.75

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- विविध अग्रिम के अंतर्गत ` 20.53 लाख की लम्बित वसूली।

पेयजल निगम के मैनुअल के अनुसार, कार्य के विरूद्ध विभाग द्वारा ठेकेदार को दी गयी सामग्री को अविलम्ब समायोजित कर लेना चाहिये। तथा यदि सामग्री का समायोजन नहीं किया जाता है तो संबंधित से उसकी वसूली कर ली जायेगी।

पत्रावली तथा स्टोर लेजर के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री संतोष उपाध्याय सहायक अभियन्ता, श्री प्रवीन राज तथा श्री भूषण सिंह अपर सहायक अभियन्ता, (तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता) जो वर्तमान में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान हल्द्वानी, उत्तराखण्ड पेयजल निगम मसूरी तथा मुनी की रेती में कार्यरत है, के नाम इस कार्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के दौरान श्री उपाध्याय द्वारा 03 निर्माण कार्यों के विरूद्ध ` 1.22 लाख, श्री राज द्वारा 12 निर्माण कार्यों के विरूद्ध ` 16.24 लाख, तथा श्री भूषण सिंह द्वारा ` 3.77 लाख की वर्ष 2012 तक के कार्यों के विरूद्ध सामग्री प्राप्त की गयी थी। जिसका समायोजन नियमानुसार अतिशीघ्र कर दिया जाना चाहिये था। किन्तु अभिलेखानुसार वर्तमान तक उक्त अधिकारियों से समायोजन नहीं किया गया। तथा बिना समायोजन के संबंधित अधिकारी कार्यालय से स्थानान्तरित भी हो गये।

इस संबंध में पूछे जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि महाप्रबन्धक महोदय द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप द्वारा माह 09/2015 को असमायोजित धनराशि को विविध अग्रिम में डालने हेतु अनुमति प्रदान की थी। जिसके तारतम्य में वर्तमान तक श्री प्रवीन राज तथा श्री भूषण सिंह से धनराशि ` 0.46 लाख तथा ` 0.23 लाख की वसूली की गयी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में असामायोजित धनराशि लम्बित होने पर भी सम्बन्धितों के विरूद्ध तत्काल नियमानुसार कार्यवाही न करके मात्र स्थान्तरण कर दिया गया तथा वर्तमान तक दोनों अभियन्तओं से मात्र ` 0.69 लाख ही वसूल किया गया। श्री संतोष उपाध्याय से वर्तमान तक कोई वसूली नहीं की जा सकी। परिणामस्वरुप, पेयजल निगम द्वारा सामग्री दिये जाने का मुख्य उद्देश्य कि ठेकेदार द्वारा कार्य को समय से पूर्ण किया जा सके से ही विभाग वंचित रहा गया।

अतः विविध अग्रिम के अंतर्गत ` 20.53 लाख की लम्बित वसूली को अविलम्ब वसूल किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2(अ)- समय से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत न किये जाने कारण आठ वर्ष बीत जाने के बावजूद कार्य का लम्बित रहना तथा लागत में वृद्धि ` 67.00 लाख।

पेयजल के मैनुअल के प्रस्तर 4.6 के अनुसार यदि स्वीकृति राशि के कार्य के दौरान यह पाया जाता है कि कार्य में व्यय स्वीकृति लागत से अधिक अन्तर होगा। तो पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति हेतु तुरन्त कार्यवाही की जायेगी तथा पुनरीक्षित आगणन में पुनरीक्षिण का स्पष्ट कारण भी इंगित किया जायेगा।

पी.एच.सी. पंजीटिलानी कालसी देहरादून में 01 नग मुख्य भवन, 01 नग टाइप IV, 02 नग टाइप II, 01 नग टाइप I, निर्मित किया जाना था। इस कार्य हेतु वर्ष 2008 में शासनादेश जारी किय गया था तथा ` 91.00 लाख जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृति हुआ था। उपरोक्त कार्य हेतु वर्ष 2008 में ही भूमि भी उपलब्ध करायी गयी थी। तथा निर्माण कार्य भी वर्ष 2008 में आरम्भ हो गया था। वर्ष 2008 से 2010-11 तक कुल ` 91.00 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त भी हो गया था। इस संबंध में पूछे जाने पर तथा पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि शासन द्वारा टुकड़ों में धनराशि अवमुक्त किये जाने के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा पुराने दरों पर कार्य न किये जाने का कारण बताया गया था। लेकिन कार्यदायी संस्था द्वारा मैनुअल के पैरा सं. 4.6 का अनुपालन न करके तथा विलम्ब हेतु बिना किसी कारण के चार वर्ष बाद वर्ष 2015 में पुनरीक्षित आगणन ` 160.18 लाख का प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर मार्च 2016 में ` 158.13 लाख का पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति प्राप्त हुयी तथा ` 17.92 लाख अवमुक्त हुआ।

इस संबंध में पूछे जाने पर विभाग द्वारा देर से (वर्ष 2010-11 के स्थान पर 2015-16) पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किये जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

अतः बिना किसी कारण के कार्यदायी संस्था द्वारा चार वर्ष विलम्ब से पुनरीक्षित आगणन प्रस्तु किये जाने के कारण एक तो कार्य की लागत में वर्ष 2010 की अपेक्षा काफी वृद्धि हो गयी। तथा वर्तमान तक कार्य पूर्ण न होने के कारण अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकी।

इस प्रकार कार्यदायी संस्था की पुनरीक्षित लागत प्रेषित किये जाने में अत्यधिक विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि ` 67 लाख और अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति न होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2(ब)- पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किये जाने में अत्यधिक विलम्ब के कारण लागत में अनावश्यक वृद्धि ` 347.96 लाख।

पेयजल में मैनुअल के प्रस्तर 4.6 के अनुसार यदि स्वीकृति राशि के कार्य के दौरान यह पाया जाता है कि कार्य में व्यय स्वीकृति लागत से अधिक अन्तर होगा तो पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति हेतु तुरन्त कार्यवाही की जायेगी तथा पुनरीक्षित आगणन में पुनरीक्षण का स्पष्ट कारण भी इंगित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा दल द्वारा पाया गया कि निम्नलिखित कार्यों में शासनादेश जारी होने के बाद प्रारम्भिक आगणन के अंतर्गत आगणित राशि कार्यदायी संस्था को दो से तीन वर्षों के अंतराल में अवमुक्त कर दी गयी थी। कार्यदायी संस्था द्वारा सामग्री की दरों में वृद्धि और नये एसओआर के अग्रसारित होने के कारण कार्य को समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका। किन्तु कार्यदाय संस्था द्वारा उक्त मैनुअल का अनुपालन न करके समय से पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप निम्न चार कार्यों में अनावश्यक विलम्ब के साथ-साथ लागत में अत्यधिक वृद्धि ` 347.96 लाख[1] (70 से 231 प्रतिशत) हुई जो वित्तीय नियमावली और मैनुअल के सर्वथा विपरीत था।

योजना का नाम	कार्य स्वीकृति का शासनादेश	पुनरीक्षित कार्य का शासनादेश	कार्य प्रारम्भ करने का माह	कार्य की मूल लागत	कार्य की पुनरीक्षित लागत	मूल कार्य की अवमुक्त राशि एवं दिनांक	पुनरीक्षित कार्य की अवमुक्त राशि एवं दिनांक	पुनरीक्षित लागत में वृद्धि (प्रतिशत में)
एस.एस.डी. मुन्धान	237/XXVIII-4-2005/23/2005 दिनांक 18.08.2005	408/जि.यो/2015-16	04/2006	38.22	126.51	` 30.39 लाख दिनांक 28.01.2008 ` 7.83 लाख दिनांक 16.02.2010	` 30.00 लाख दिनांक 31.03.2016	231%

[1] ` 126.51 लाख-` 38.22 लाख=` 88.29 लाख, ` 170.83 लाख-` 94.00 लाख=` 76.83 लाख, ` 166.27 लाख-` 86.00 लाख=` 80.27 लाख, ` 247.57 लाख-` 147.00 लाख=` 102.57 लाख

पी.एच.सी. क्वासी	804/XXVIII-5-2007-141/2007 दिनांक 11.02.2008	1047/जि.यो./चिकित्सा वि./2015-16 दिनांक 22.03.2016	05/2008	94.00	170.83	` 12.50 लाख दिनांक 22.04.2008 ` 20.00 लाख दिनांक 05.12.2008 ` 10.00 लाख दिनांक 31.03.2008 ` 10.00 लाख दिनांक 29.12.2008 ` 41.50 लाख दिनांक 26.07.2008	` 30.00 लाख दिनांक 31.03.2016	81%
लाखामण्डल	207/VI/2008-3(35)2005, दिनांक 12.03.2008	2282/VI(1) 2012-02(27)2010, दिनांक 07.12.2012	05/2008	86.00	166.27	` 50.00 लाख दिनांक 26.04.2008 ` 36.00 लाख दिनांक 19.03.2009	` 80.27 लाख दिनांक 03.2016	93%
सी.एच.सी. त्यूनी	49/XXVIII/-5-2006-91/2006 दिनांक 13.02.2006	736/XXVIII/-5-2015-91/2005 दिनांक 26.03.2015	10/2006	147.00	249.57	` 50.00 लाख दिनांक 17.03.2006 ` 97.00 लाख दिनांक 31.03.2008	` 102.57 लाख दिनांक 04/2015	70%

इस संबंध में विलम्ब से पुनरीक्षित आगणन प्रेषित किये जाने का कारण इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा कोई स्पष्ट जबाब प्रेषित नहीं किया गया।

अतः विलम्ब से पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत कर लागत में अनावश्यक वृद्धि ` 347.96 लाख (70 से 231 प्रतिशत) और कार्य में अत्यधिक विलम्ब का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- विभागीय वाहन के उपयोग पर वाहन किराये की लम्बित वसूली ` 0.47 लाख।

परियोजना प्रबन्धकों द्वारा विभागीय वाहन के उपयोग पर उनके वेतन से एक निश्चित राशि ` 500/- माहवार की कटौती की जानी थी। परन्तु वाहन किराये की पत्रावली के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इकाई के आरम्भिक दिनों से माह 04/2015 तक कार्यरत निम्नलिखित परियोजना प्रबन्धकों के वेतन से इकाई द्वारा वाहन किराये की कटौती नहीं की गयी।

क्र.सं.	अवधि	परियोजना प्रबन्धकों के नाम	माहवार कटौती	लम्बित वसूली
1.	03/2007 से 07/2009	ई. ए.जे.पी. डोबरियाल	500/-	14,500/
2.	08/2009 से 06/2010	ई. भीमसेन धीरज	500/	5,500/-
3.	07/2010 से 07/2011	ई. आर.जी. सिंह	500/	6,500/-
4.	08/2011 से 07/2012	ई. राज कुंवर	500/	6,000/-
5.	08/2012 से 03/2014	ई. ओ.पी. सिंह	500/	10,000/-
6.	01/2015 से 04/2015	ई. के.के. तनेजा	500/	2,000/-
7.	04/2014 से 07/2014	ई. ओ.पी. सिंह	500/	2000/-
			कुल `	**46,500/-**

इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तत्काल कार्यवाही किये जाने की बात कही गयी थी।

अतः विभागीय वाहन के उपयोग पर वाहन किराये की लम्बित वसूली ` 0.47 लाख की प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- कार्य में अनावश्यक विलम्ब के कारण लागत में अत्यधिक वृद्धि।

राज्य सरकार द्वारा जारी प्रत्येक शासनादेश में यह स्पष्ट रूप से इंगित रहता है कि लागत में अनावश्यक वृद्धि को रोकने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण किया जाये। किन्तु अभिलेखों के निरीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्नलिखित कार्यों जिनका समाप्ति का कार्यकाल सामान्यतः 18 माह था में पूर्ण न होकर आठ से नौ वर्षों से लम्बित चला आ रहा है। तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है जबकि उक्त कार्यों पर सम्पूर्ण राशि भी कार्यदायी संस्था को प्राप्त हो चुकी थी। जिससे न केवल कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा था बल्कि लागत में भी अत्यधिक वृद्धि हो रही थी।

Sl. No.	Name of the work	Govt order & date	Sanctioned cost/revised cost (Rs in lakh)	Date of Start/ Completion	Detail of receipt of funds by UPJN (Rs. In Lakh)	Physical progress (in%) as on March 2016	Remarks
1.	Construction of SAD Atal	591/xxviii-5-2006-87/2006 dt. 24.08.2006	` 54.50 ` 75.16		` 20.00 25.11.2006 ` 34.50 18.03.2008 ` 18.86 29.12.2009 ` 02.00 04.12.2010	90	Finishing work in progress
2.	Construction of PHC Manthat	215/xxviii-5-2006-24/2005 dt. 18.08.2006 & R/S GO No	` 54.80 ` 97.60		` 25.00 21.10.2005 ` 26.80 30.04.2008	80	The work is irprogress

		534/xxviii-5-2011-51/2009 dt. 23.03.2011			` 17.74 20.04.2011 ` 5.48 15.10.2012 ` 22.58 22.03.2013		
3.	Construction of Family Welfare Centre Kandoibharam	775(i)/xxviii-5-2007-128/2007 dt. 29.11.2007	` 10.04		` 10.04 31.07.2008	92	Finishing work is at the last stage
4.	Construction of residential quarters of SAD Mayrawana		` 24.90		` 24.90 20.04.2011	70	Finishing work is in progress
5.	Development of Chakrata Tiger fall	107/vi/20063 (14)-2004 dt.28.01.2006	` 48.16		` 15.00 07.08.2006 ` 33.16 31.03.2008	95	Finishing work is in progress
6.	Construction of boundary wall and repair of residences of ITI Chakrata	1064/xvii-1/2013-11(16)/2010 dt. 25.03.13	` 52.15		` 52.15 23.04.2013	60	Repair work is in the last stage
7.	Constructions of residential/non residential buildings of Tahseel Kalsi	839/18(1)05 dt. 23.02.2006	` 135.44		` 75.00 up to 24.04.2008 ` 60.40 31.10.2009	60	Work was delayed due to paucity of funds, a revised estimate of ` 218.00 lakh has been forwarded to DM D.Dun
8.	Construction of residential/non residential buildings of Tahseel Tuni	1074/18(1)200 4 dt. 27.11.2004	` 179.79		` 75.00 up to 31.03.2006 ` 38.57 08.06.2008 ` 66.22	80	Type III not constructed so far

					20.03.2009		

इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा राशि का एकमुश्त प्राप्त न होने के कारण विलम्ब होना बताया गया जो मान्य नहीं था क्योंकि उक्त प्रत्येक कार्य में राशि को प्राप्त हुये 5 से 6 वर्ष हो चुके थे लेकिन वर्तमान तक कार्य पूर्ण कर हस्तान्तरण की कार्यवाही कर लेखाबन्दी नहीं की गयी जो निर्माण कार्य के उद्देश्य के सर्वथा प्रतिकूल था।

अतः कार्य में अनावश्यक विलम्ब के कारण लागत में अत्यधिक वृद्धि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी एक प्रति **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, विकासनगर, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित की गयी कि उनकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)